न्यायालय विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0/ अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.3, फर्रूखाबाद।

उपस्थित – श्री राजेश कुमार राय ..... एच. जे. एस.

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 13/2018

अनोद

बनाम

इन्द्रसेन आदि

02-07-2019

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी के द्वारा परिवाद इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का पुश्तैनी मकान ग्राम बघौना थाना नबावगंज में है जिसे गांव के ही पूर्व प्रधान इन्द्रसेन यादव अपना मकान बताकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है और उससे रंजिश मानते है। उक्त मकान पर कब्जा कर लेने की नीयत से दिनांक 02.02.18 को सुवह 10 बजे इन्द्रसेन अपने परिजन व साथी विजयपाल, राजेश, कुलदीप, बागीश, गुरुचरण, आशुतोष, सर्वेश, अनिल, पानिसंह, राजेश, मिथलेश, मंजू, राधा तथा गांव के सुधीर यादव पुत्र विमलेश कुमार, सुधीर यादव पुत्र राजकुमार, धर्मवीर, अनिल, शैलेन्द्र, सर्वेश, आशीष, सरमन, नरेश सिंह, शिवराम उर्फ अलवर, मदनलाल, तथा नरेन्द्र के साथ मिलकर उसके मकान में गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती घुस आये जिनके पास लाठी, डंडा व राइफले थी। इन सभी ने एक राय होकर उसे व उसके पूरे परिवार को बुरी तरह मारापीटा, उसे व उसके परिवार के मोवाइल, 35000/- नकद, चार ए टी एम कार्ड, पैनकार्ड, आधार कार्ड आदि जबरदस्ती लूट लिए तथा घर में तोडफोड की। ये सभी लोग उसके परिवार के अजय गुप्ता, गौरव, सचिन, हिमांशु का अपहरण कर ले गये जिसमें गौरव व हिमांशू का आज तक पता नही चला है। मारपीट से उसके व उसके पुत्र विकास, अशोक कुमार, अरविन्द व अर्जुन के गम्भीर चोटे आयी। घटना को गांव के रामरतन, रमेश चन्द्र, रामप्रसाद आदि बहुत से लोगो ने देखा। उसने घटना की रिपोर्ट थाना नबावगंज पर अपराध संख्या 75/18 धारा 395, 364 भा० दं० सं० में दर्ज करायी। विवेचक द्वारा निष्पक्ष विवेचना न करके अभियुक्तगण के प्रभाव में आकर समझौता कर लेने का दबाव बना रहे है और उक्त मुकदमा में अंतिम आख्या लगा देने व अपराध की प्रकृति बदलने की धमकी दे रहे है तथा अपहृत व्यक्तियो को खोज नही रहे है। उसे व उसके परिवार को जान माल का खतरा है। उसे विवेचाधिकारी से न्याय की आशा नही है इसलिए यह परिवाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः अभियुक्तगण को तलब करने की कृपा करें।

परिवाद-पत्र के कथन के समर्थन में परिवादिनी की ओर से स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं० प्र० सं० व पी.डव्लू.1 विकास गुप्ता, पी.डव्लू.2 मनीराम, पी.डव्लू.3 अशोक कुमार, पी.डव्लू.4 रमेश चन्द्र, पी.डव्लू.5 अरविन्द गुप्ता तथा पी.डव्लू.6 अर्जुन गुप्ता का बयान धारा 202 दं० प्र० सं० अंकित कराया

गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में सूची 5 बी से प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति तथा सूची 21 बी से आरोप पत्र, इंजरी रिपोर्ट अरविन्द कुमार, अशोक, विकास व अनोद की प्रमाणित प्रतियां दाखिल की गयी है।

मैनें परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादी का अपने बयान में कथन है कि 02 फरवरी 2018 को दिन के 10 बजे पूर्व प्रधान इन्द्रसेन यादव, विजयपाल, राजेश, कुलदीप, गुरुचरण, आशुतोष, सुरजीत यादव, मिथलेश यादव प्रधान, मंजू, फूलश्री, राधा उर्फ नीरज, धर्मवीर, सर्वेश, सुधीर पुत्र राजकुमार, अनिल, सुधीर पुत्र विमलेश, अनिल यादव, सर्वेश, नरेन्द्र, शिवराम, मदनलाल, सरवन, नरेन्द्र, पानसिंह व राकेश पूर्व प्रधान ने उसके घर में घुसकर बुरी तरह से हम लोगो को मारापीटा तथा उसके लड़के विकास का सिर फोड दिया। उसे, उसके भाई अशोक, अरविन्द व अर्जुन को बुरी तरह से घायल कर दिया। घर में रखे 35000/-, तीन ए टी एम कार्ड, पेनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ई. एस. आई. कार्ड, पहनने के सारे कपडे, बर्तन सब उठाकर ले गये। सी ओ महावीर सिंह ने मौके पर जाकर विवेचना की। मुकदमा संख्या 75/18 धारा 395/364 भा० दं० सं० लिखा गया पर आज तक चार्ज शीट नही लगी। उसके दो आदमी गौरव व हिमांशु को पकडकर ले गये जिनका आज तक पता नही चला है। इन लोगो ने मकान पर कब्जा करने के लिए यह घटना की है। पूर्व प्रधान इन्द्रसेन यादव ने कब्जा करने के लिए यह घटना की है।

साक्षी सं.1 विकास गुप्ता का कथन है कि दो फरवरी को साढे नौ बजे परिवार की औरत खाना बना रही थी चाचा लोग खाना खाने जा रहे थे। पूर्व प्रधान इन्द्रसेन यादव दो आदमी के घर के अन्दर आ गया पापा से थोडी बात की फिर मारपीट करने लगा पापा को खीचकर बाहर ले गया। पीछे की कच्चे दीवाल धकेल कर दो लोग सुधीर व कुलदीप आ गये। सुधीर ने चाचा अर्जुन को पकड लिया व कुलदीप ने पीछे से उसके सिर पर भारी चीज मारी। उसके चाचाअनुज गुप्ता केा भी मारा। उसका कालर पकड़कर खीचकर बाहर गैलरी में ले गये। बाहर इकट्ठे लोग पापा को मारने लगे। पापा को अनिल, बागीश, कुलदीप व सुधीर मारने पीटने लगे। औरते आदमी मिलाकर कुल 26 लोग थे। उसके घर से तीन मोवाइल तथा 35000/- निकाल कर ले गये। पापा की जेब से फोन निकाला चाचा का फोन चार्ज हो रहा था। मारने पीटने के बाद उसे, पापा व छोटे चाचा को जीप में डालकर कुलदीप रोड के बाहर स्टेण्ड पर फेक आया। चाचा अशोक व अरविन्द को मारपीटकर खेतो पर छोड़ दिया। चाचा अजय, उनके लड़के हिमांशु, सचिन व गौरव लापता हो गये। पुलिस की गाडी आयी पापा को जीप में बैठाकर गांव में ले गये।

शाम को चाचा अजय व सचिन वापस आ गये। हिमांशु व गौरव का आज तक पता नही चला। एस ओ ने झूठी रिपोर्ट लगा दी कि सारे मिल गये। घटना दो फरवरी 2018 को सुवह की है। दिल्ली में सात आठ साल से काम कर रहा हूं। मम्मी पापा यहां रहते है चाचा वगैरह वहां रहते है। इन्द्रसेन ने उसके घर में भैस बांध रखी थी जो उसने हटा दी थी। वह 25 साल बाद अपने घर बघौना लौटकर आया था उसके मकान पर कब्जा इन्द्रसेन ने कर लिया था। इन 26 लोगो में गांव के 18 लोग तथा बाकी लोग बाहर के थे। चोटे आयी थी। नबावगंज में इलाज कराया।

साक्षी सं.2 मनीराम का कथन है कि बघौना गांव में आंतक है। वह नबावगंज बाजार करके साइकिल से जा रहा था। वह अनोद के दरवाजे पर आया तो इन लोगो को सभी बाल बच्चो को काफी आदमियो ने घेर लिया। मारपीट की चोटे आयी तमाम आदमी खडे थे पर किसी ने बचाया नही। उसकी भी हिम्मत नही पडी बचाने की फिर वह बाजार चला गया। इन्द्रसेन उनके लड़के बागीश, राजेश, विजयपाल के लड़के व इन्द्रसेन के घर बाले मारपीट कर रहे थे। इन्द्रसेन ने अनोद के मकान पर अवैध कब्जा कर लिया। भा. ज. पा. सरकार आने पर अनोद दुबारा घुस गये। घटना दो तारीख दूसरा महीना इसी साल की सुवह दस बजे की है। चार लोगो को चोटे आयी थी।

साक्षी सं.3 अशोक कुमार का कथन है कि 2 फरवरी 18 की घटना है वे लोग घर पर आये थे हम लोगो पर अचानक हमला हुआ उसके घर बघौना थाना नबावगंज जिला फर्रूखाबाद में सुवह का दस बजे का समय था। उसके पुश्तैनी मकान पर कब्जा करने के लिए झगडा किया गया। उसके साथ मारपीट हुयी तथा गांव के बाहर फेक दिया गया उसका सारा सामान तीन मोवाइल नकदी 35000/- आदि लूट लिया गया। उस झगडे के बाद से उसके दो भतीजे गौरव व हिमांशु आज तक गायब है। झगडा करने बालो में 25-26 आदमी के नाम पता जानता हूं बाकी बाहर के थे उनके नाम नही बता सकता। इन्द्रसेन, विजयपाल, राजेश, कुलदीप, बागीश, मुस्कान, आशुतोष, मिथलेश, मंजू, कुलदीप, सर्वेश, सुधीर, धर्मवीर, राधा, फूलश्री, सुधीर, राजकुमार, अनिल, राजकुमार, शैलेन्द्र, सुरजीत, सरवन, शिवराम, मदनलाल, नरेन्द्र, अनिल यादव, नरेश, पानसिंह व पूर्व प्रधान राकेश ने आकर लूटपाट की है। मकान पुश्तैनी है आराजी व आबादी नम्बर नही बता सकता। इन्द्रसेन उसके रिश्तेदर नही है। पुश्तैनी मकान पर कोई रहता नही था। उसका भाई 13 सितम्बर को गांव आया था उसके बाद फिर मकान बन्द हो गया। वे सारे लोग एक साथ रहने आये थे। जब आये थे तब मकान पर किसी का कब्जा नही था। हिमांशु व गौरव दिल्ली में रहते है। गौरव की आयु 18-19 वर्ष व हिमांशु की आयु 16 वर्ष है। वह पढता था।

साक्षी सं.4 रमेश चन्द्र का कथन है कि 2 फरवरी सन् 18 को

सुवह 10 बजे की घटना है। वह गांव से गुजर रहा था तो इन्द्रसेन, राजेश, कुलदीप, विजयपाल, वागीश, गुरुवचन, सर्वेश, अनिल, राकेश, पालसिंह व अन्य बाकी लोग थे जो घर में घुसे थे उन्हे पहचान नही पाया। गुप्ता परिवार को मारपीट कर रहे थे। जो बेहोश हो जाता था उसे गाडी में भरकर रोड की ओर ले जाते थे। इन्द्रसेन कह रहे थे कि सुई से धागा तक कोई सामान रह न जाए सब सामान भरकर ले गये। दो बच्चे जिनके नाम नही मालूम आज तक नही मिले। डर के कारण कोई बचा नही पाया। गुप्ता परिवार गांव का है पहले से जानता हूं। इन्द्रसेन भी गांव का है। गुप्ता परिवार के लोगो को बाहर निकाल दिया। इन्द्रसेन इनके मकान पर कब्जा कर लिया। गुप्ता परिवार 20-25 साल से बाहर रहता है आता जाता है। गांव के मकान में कोई रहता नही था। इन्द्रसेन ने ताला तोड़कर 25 साल पहले कब्जा कर लिया। इन्द्रसेन ने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने 28-30 जनवरी 18 को इन्द्रसेन के जानवर हटवाकर गुप्ता को कब्जा दे दिया।

साक्षी सं.5 अरविन्द का कथन है कि मैं बघौना में दो फरवरी 18 को रहने आया था। खाना बन रहा था कुछ लोग घुसे और उसे मारने पीटने लगे। इन्द्रसेन, राजेश, विजयपाल, बागीश, आशुतोष, गुरुचरन, सुधीर, हनी सुरजीत, सर्वेश, शैलेन्द्र, धर्मवीर, राधा, मंजू, मिथलेश, फूलश्री, नरेन्द्र, सरवर, शिवराम, मदनलाल, नरेन्द्र, अनिल, नरेन्द्र निवासी सिला पानसिंह व राकेश थे। मारकर उसे रोड पर डाल दिया। उसके दो बच्चे गायब है। गाजियाबाद में दस बारह साल से रह रहे है। 25 साल बाद यहां रहने आये। इन लोगो ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया। दो फरवरी को पुलिस की मदद से घुसे थे और दो फरवरी को घटना हो गयी। उसके पास पुलिस का कागज है।

साक्षी सं.6 अर्जुन का कथन है कि उसके मकान पर 20-25 साल पहले लोगो ने कब्जा कर लिया। 26.01.18 को पुलिस की मदद से घर पर रहने आये चार पांच दिन ठीक से रहे। दो फरवरी 18 को सुवह 10 बजे लगभग इन्द्रसेन चालीस पचास लोगो को लेकर आये उसे व उसके भाई को मारना पीटना शुरु कर दिया। बुरी तरह मारा व जीप में भरकर गांव के बाहर फेक दिया। उसका सारा सामान मोवाइल, जेवर व 35000/- सब निकाल ले गये जिनमें से बीस पचीस लोगो के नाम पता है। इन्द्रसेन, राजेश, कुलदीप, विजयपाल, बागीश, आशुतोष, गुरुचरन, सर्वेश, शैलेन्द्र, सुधीर, अनिल, शैलेन्द्र, सुरजीत, सुधीर, सरवर, शिवराम, मदनलाल, नरेन्द्र, नरेश, अनिल, पानसिंह, राकेश, मंजू, मिथलेश, फूलश्री आदि लोग थे। वह लगभग पचीस साल बाद गांव आया। उसने जिन लोगो के नाम पहले बताये है उन्हे वह पहले से जानता पहचानता है। उसके मकान पर इन्द्रसेन यादव का कब्जा था।

परिवाद के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा इस कथन के साथ परिवाद प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 02.02.18 को सुवह 10 बजे इन्द्रसेन अपने परिवारीजन विजयपाल, राजेश, कुलदीप, बागीश, गुरुचरण, आशुतोष, सर्वेश, अनिल, पानिसंह, राजेश, मिथलेश, मंजू, राधा एवं गांव के सुधीर यादव पुत्र विमलेश कुमार, सुधीर यादव पुत्र राजकुमार, धर्मवीर, अनिल, शैलेन्द्र, सर्वेश, आशीष, सरमन, नरेश सिंह, शिवराम उर्फ अलवर, मदनलाल, तथा नरेन्द्र के साथ मिलकर उसके मकान में गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती घुस आये जिनके पास लाठी, डंडा व राइफले थी। इन सभी ने एक राय होकर उसे व उसके पूरे परिवार को बुरी तरह मारापीटा, उसे व उसके परिवार के मोवाइल, 35000/- नकद, चार ए टी एम कार्ड, पैनकार्ड, आधार कार्ड आदि जबरदस्ती लूट लिए तथा घर में तोडफोड की। ये सभी लोग उसके परिवार के अजय गुप्ता, गौरव, सचिन, हिमांशु का अपहरण कर ले गये जिसमें गौरव व हिमांशू का आज तक पता नही चला है। मारपीट से उसके व उसके पुत्र विकास, अशोक कुमार, अरविन्द व अर्जुन के गम्भीर चोटे आयी। घटना को गांव के रामरतन, रमेश चन्द्र, रामप्रसाद आदि बहुत से लोगो ने देखा।

परिवादी द्वारा बयान धारा 200 दं. प्र. सं. में परिवाद का समर्थन किया गया है जबकि धारा 202 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत परीक्षित साक्षी सं.1 विकास, साक्षी सं.2 मनीराम, साक्षी सं.3 अशोक कुमार, साक्षी सं.4 रमेश चन्द्र, साक्षी सं.5 अरविन्द तथा साक्षी सं.6 अर्जुन के द्वारा भी परिवाद में किये गये कथन का समर्थन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि चुटहल अर्जुन, अरविन्द, अशोक कुमार, विकास व आनोद की आहत आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें अशोक कुमार के सिर पर पीछे की तरफ से चोट से ताजा खून निकलने का उल्लेख किया गया है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण इन्द्रसेन पुत्र स्व. लल्लू सिह, विजयपाल पुत्र स्व. शेरसिंह, राजेश पुत्र इन्द्रसेन, कुलदीप पुत्र इन्द्रसेन, बागीश पुत्र विजयपाल, गुरुचरण पुत्र विजयपाल, आशुतोष पुत्र विजयपाल, सर्वेश पुत्र रतीराम, मिथलेश पत्नी राजेश, मंजू पत्नी कुलदीप, फूलश्री पत्नी विजयपाल, सुधीर पुत्र विमलेश, सुधीर पुत्र राजकुमार, राधा पत्नी धर्मवीर, धर्मवीर पुत्र होरीलाल, अनिल पुत्र राजकुमार, शैलेन्द्र पुत्र सर्वेश, आशीष पुत्र राजकुमार, सरमन पुत्र रामभरोसे, नरेन्द्र सिंह पुत्र नरेश सिंह, शिवराम उर्फ अलवर, मदनलाल पुत्र रामसनेही, नरेन्द्र यादव उर्फ कन्टू पुत्र रामनरेश, अनिल यादव, पानसिंह पुत्र श्रीराम तथा राकेश यादव पूर्व प्रधान के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 395, 364, 452, 323, 308, 427, 504, 506 भा० दं० सं० का अपराध बनना परिलक्षित होता है। अतः उपरोक्त विपक्षीगण इन्ही धाराओ में तलब किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण इन्द्रसेन पुत्र स्व. लल्लू सिह, विजयपाल पुत्र स्व. शेरसिंह, राजेश पुत्र इन्द्रसेन, कुलदीप पुत्र इन्द्रसेन, बागीश पुत्र विजयपाल, गुरुचरण पुत्र विजयपाल, आशुतोष पुत्र विजयपाल, सर्वेश पुत्र रतीराम, मिथलेश पत्नी राजेश, मंजू पत्नी कुलदीप, फूलश्री पत्नी विजयपाल, सुधीर पुत्र विमलेश, सुधीर पुत्र राजकुमार, राधा पत्नी धर्मवीर, धर्मवीर पुत्र होरीलाल, अनिल पुत्र राजकुमार, शैलेन्द्र पुत्र सर्वेश, आशीष पुत्र राजकुमार, सरमन पुत्र रामभरोसे, नरेन्द्र सिंह पुत्र नरेश सिंह, शिवराम उर्फ अलवर, मदनलाल पुत्र रामसनेही, नरेन्द्र यादव उर्फ कन्टू पुत्र रामनरेश, अनिल यादव, पानसिंह पुत्र श्रीराम तथा राकेश यादव पूर्व प्रधान के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 395, 364, 452, 323, 308, 427, 504, 506 भा० दं० सं० का संज्ञान लिया जाता है। परिवादी सूची गवाहान प्रस्तुत करें तत्पश्चात अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 01.08.2019 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश द 0 प्र 0 क्षे0/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.3
फर्रूखाबाद।
02.07.2019